संख्या–5 / बजट 1–04 / 2017 सा0–.10.....

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

स्पीड पोस्ट / ई–मेल

प्रेषक,

दयानिधान पाण्डेय
भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक–28-6- 2017

विषयः– **वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में बजट मुख्य शीर्ष 2070–अन्य प्रशासनिक सेवाएँ– 00–115–अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि–0003–सर्किट भवन, गैर योजना, मांग सं0–33, (विपत्र कोड–33-2070001150003) के अन्तर्गत व्यय के लिए कुल ₹ 1,57,58,000 / – (एक करोड़ संतावन लाख अंठावन हजार रूपये) मात्र का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2070–अन्य प्रशासनिक सेवाएँ– 00–115–अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि–0003–सर्किट भवन, गैर योजना, मांग सं0–33, (विपत्र कोड–33-2070001150003) के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में व्यय के लिए कुल ₹ 1,57,58,000 / – (एक करोड़ संतावन लाख अंठावन हजार रूपये) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 428 दिनांक 31.03.2017 एवं 3002 दिनांक 26.04.2017 के आलोक में दिया जा रहा है।

3. राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 दिनांक 17 अप्रैल 1998 एवं एतद् संबंधी अन्य पत्रों के आलोक में किया जायेगा।

4. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मी को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. **संविदा सेवाएँ विषय शीर्ष में आवंटित राशि से सिर्फ संविदा पर कार्यरत कर्मियों के मानदेय का भुगतान किया जायेगा।**

6. जिस पद के विरुद्ध संविदा पर कर्मी नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जाये।

7. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष / लघुशीर्ष / उपशीर्ष / प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

8. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

9. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

10. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी / भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

कृ0पृ0उ0

11. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
13. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
15. वास्तविक व्यय को आधार मानते हुए अतिरिक्त राशि की मांग की जाए न कि प्राक्कलित राशि के आधार पर राशि की मांग की जाए।

अनु0:– यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन

(दयानिधान पाण्डेय)
सरकार के अपर सचिव

संख्या–5/बजट 1–04/2017 सा0–.....

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

स्पीड पोस्ट/ई–मेल

प्रेषक,

दयानिधान पाण्डेय
भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक– 2017

विषयः– वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में बजट मुख्य शीर्ष 2070–अन्य प्रशासनिक सेवाएँ– 00–115–अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि–0003–सर्किट भवन, गैर योजना, मांग सं0–33, (विपत्र कोड–33-2070001150003) के अन्तर्गत व्यय के लिए कुल ₹ 1,57,58,000/– (एक करोड़ संतावन लाख अंठावन हजार रूपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2070–अन्य प्रशासनिक सेवाएँ– 00–115–अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि–0003–सर्किट भवन, गैर योजना, मांग सं0–33, (विपत्र कोड–33-2070001150003) के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में व्यय के लिए कुल ₹ 1,57,58,000/– (एक करोड़ संतावन लाख अंठावन हजार रूपये) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 428 दिनांक 31.03.2017 एवं 3002 दिनांक 26.04.2017 के आलोक में दिया जा रहा है।
3. राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 दिनांक 17 अप्रैल 1998 एवं एतद् संबंधी अन्य पत्रों के आलोक में किया जायेगा।
4. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मी को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
5. **संविदा सेवाएँ विषय शीर्ष में आवंटित राशि से सिर्फ संविदा पर कार्यरत कर्मियों के मानदेय का भुगतान किया जायेगा।**
6. जिस पद के विरुद्ध संविदा पर कर्मी नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जाये।
7. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
8. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
9. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
10. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

कृ0पृ0उ0

11. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
13. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
15. वास्तविक व्यय को आधार मानते हुए अतिरिक्त राशि की मांग की जाए न कि प्राक्कलित राशि के आधार पर राशि की मांग की जाए।

अनु0:– यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन
ह0/–
(दयानिधान पाण्डेय)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–5/बजट 1–04/2017 सा0–10/ पटना, दिनांक–28-6- 2017

प्रतिलिपि :– महालेखाकार बिहार, पटना/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

वित्तीय वर्ष 2017–18 में व्यय के लिए (बजट शीर्ष 2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं 115 अतिथि गृह सरकारी होस्टल आदि 0003 सर्किट भवन)
आवंटनः–

क्र0 सं0	जिला का नाम	वेतन	जीवन यापन भत्ता	मकान किराया भत्ता	चिकित्सा भत्ता	अन्य भत्ता	योग–वेतन एवं भत्ते	कार्यालय व्यय	दूरभाष	विद्युत प्रभार	वर्दी / पोशाक	संवदिा सेवाएँ	कुल
	कूट संख्या –	01 01	01 03	01 04	01 06	01 07		13 01	13 03	13 04	13 06	28 02	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	पटना	2,50,000	4,00,000	24,000	20,000	20,000	**7,14,000**	60,000	4,000	2,00,000	6,000	6,00,000	**15,84,000**
2	नालन्दा	0	0	0	0	0	**0**	30,000	2,000	1,20,000	0	4,00,000	**5,52,000**
3	गया	2,50,000	3,50,000	24,000	20,000	20,000	**6,64,000**	30,000	4,000	1,60,000	4,000	4,00,000	**12,62,000**
4	अरवल	0	0	0	0	0	**0**	30,000	2,000	1,20,000	0	1,00,000	**2,52,000**
5	मुजफ्फरपुर	1,50,000	2,00,000	20,000	10,000	10,000	**3,90,000**	30,000	2,000	1,20,000	4,000	3,00,000	**8,46,000**
6	सिवान	0	0	0	0	0	**0**	30,000	2,000	1,20,000	0	1,00,000	**2,52,000**
7	भागलपुर	1,50,000	2,00,000	24,000	20,000	20,000	**4,14,000**	30,000	2,000	1,60,000	4,000	2,00,000	**8,10,000**
8	लक्खीसराय	0	0	0	0	0	**0**	30,000	2,000	1,20,000	0	2,00,000	**3,52,000**
9	शेखपुरा	0	0	0	0	0	**0**	30,000	2,000	1,20,000	0	1,00,000	**2,52,000**
10	जमुई	1,00,000	1,50,000	20,000	5,000	5,000	**2,80,000**	30,000	2,000	1,60,000	0	1,00,000	**5,72,000**
11	पूर्णियां	1,50,000	2,50,000	20,000	10,000	5,000	**4,35,000**	30,000	2,000	1,60,000	0	2,00,000	**8,27,000**
12	अररिया	0	0	0	0	0	**0**	30,000	2,000	1,60,000	0	1,00,000	**2,92,000**
13	किशनगंज	0	0	0	0	0	**0**	30,000	2,000	1,20,000	0	1,00,000	**2,52,000**
14	भोजपुर	2,00,000	3,00,000	20,000	10,000	10,000	**5,40,000**	0	0	0	0	0	**5,40,000**
15	बक्सर	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
16	रोहतास	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
17	कैमूर(भभुआ)	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
18	नवादा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
19	जहानाबाद	2,00,000	3,50,000	24,000	10,000	10,000	**5,94,000**	0	0	0	0	0	**5,94,000**
20	औरंगाबाद	2,00,000	3,50,000	24,000	20,000	20,000	**6,14,000**	0	0	0	0	0	**6,14,000**
21	सीतामढ़ी	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
22	पू0चम्पारण	1,50,000	2,00,000	20,000	10,000	10,000	**3,90,000**	0	0	0	0	0	**3,90,000**
23	प0चम्पारण	2,50,000	3,00,000	20,000	10,000	10,000	**5,90,000**	0	0	0	0	0	**5,90,000**
24	शिवहर	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
25	वैशाली	1,50,000	2,00,000	20,000	10,000	10,000	**3,90,000**	0	0	0	0	0	**3,90,000**
26	दरभंगा	2,50,000	3,50,000	24,000	20,000	20,000	**6,64,000**	0	0	0	0	0	**6,64,000**
27	मधुबनी	3,50,000	4,50,000	20,000	10,000	10,000	**8,40,000**	0	0	0	0	0	**8,40,000**
28	समस्तीपुर	3,50,000	4,00,000	20,000	10,000	10,000	**7,90,000**	0	0	0	0	0	**7,90,000**
29	सारण	2,50,000	3,50,000	20,000	10,000	10,000	**6,40,000**	0	0	0	0	0	**6,40,000**
30	गोपालगंज	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
31	बांका	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
32	मुंगेर	1,50,000	2,00,000	10,000	5,000	5,000	**3,70,000**	0	0	0	0	0	**3,70,000**
33	खगड़िया	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
34	बेगूसराय	3,00,000	4,00,000	20,000	10,000	10,000	**7,40,000**	0	0	0	0	0	**7,40,000**
35	कटिहार	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
36	सहरसा	2,00,000	2,50,000	26,000	5,000	10,000	**4,91,000**	0	0	0	0	0	**4,91,000**
37	मधेपुरा	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
38	सुपौल	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
	कुल योग –	**40,50,000**	**56,50,000**	**4,00,000**	**2,25,000**	**2,25,000**	**105,50,000**	**4,20,000**	**30,000**	**18,40,000**	**18,000**	**29,00,000**	**157,58,000**

(एक करोड़ संतावन लाख अंठावन हजार रूपये) मात्र।

नोटः– कमांक 14 से 38 के जिलों को उनके जिले में लम्बित गृह विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग के ए.सी विपत्रों के 100 प्रतिशत समायोजन के बाद ही शेष मदों में आवंटन दिया जायेगा।

सरकार के अपर सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग